न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, जनपद—मेरठ (उ.प्र.)

विविध प्रार्थना-पत्र संख्या : 12 / 2026

CNR No.: UPME120002242026

(अन्तर्गत धारा 173(4), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

मनीष गुप्ता बनाम निलेश छाबड़ा आदि

थाना : मवाना, जनपद—मेरठ

दिनांक : 10.03.2026

आवेदक के अधिवक्ता : श्री उमेश कुमार व श्री अमित कुमार

---

1. आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी **मनीष गुप्ता पुत्र जयपाल गुप्ता** द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से धारा **173(4) बी.एन.एस.एस., 2023** के अन्तर्गत थाना मवाना पर एफ.आई.आर. पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी आदर्श मारबल ढिकौली रोड मवाना का प्रोपराईटर है व प्रार्थी का पुत्र अनिकेत आदर्श मारबल एण्ड ग्रेनाईट फ्लैट-2 गंगा ग्रीन सिटि कालोनी मवाना का प्रोपराईटर है। प्रार्थी व उसके पुत्र की फर्म के विपक्षी निलेश छाबडा पुत्र राजेश छाबडा व राजेश छाबडा पुत्र सोहनलाल छाबडा पर करीब अंकन 26,44,819/- रूपये थे, जिसकी बाबत प्रार्थी ने विपक्षीगण से कई मर्तबा तकादे किये। तत्पश्चात विपक्षीगण ने दिनांक 03.02.2026 को मवाना आकर प्रार्थी का हिसाब फाईल करने का वचन दिया।दिनांक 03.02.2026 की रात्री करीब 8 बजे विपक्षी निलेश छाबडा व राजेश छाबडा प्रार्थी के ऑफिस ढिकौली रोड मवाना पर आये, प्रार्थी ने विपक्षीगण के साथ बैठकर चाय नाश्ता किया, जिसके बाद विपक्षीगण ने प्रार्थी से हिसाब के बारे में बात करते हुये बिल बुक व लेन देन रजिस्टर देखने के लिए मांगे। प्रार्थी ने गल्ले में से बिल बुक व लेन देन रजिस्टर उनको दिये तो उन्होने हिसाब देखते-देखते ही बिल बुक व रजिस्टर की पेज फाडने शुरू कर दिये, जैसे ही प्रार्थी ने उनसे रजिस्टर छीनकर बचाने का प्रयास किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी गला पकड लिया, उसके बाल खीचे तथा प्रार्थी को थप्पड व घुसे माकर मार पीट की। प्रार्थी ने पूरी कोशिश की परन्तु वपक्षी निलेश छाबडा ने प्रार्थी पीछे से कसकर पकड लिया। इसी दौरान विपक्षीगण ने गाली गलोच करते हुये जबरन गल्ले में रखे हुये लगभग अंकन 40,000/- रूपये निकाल लिये तथा गल्ले में रखे हुये समस्त अन्य बिल भी निकाल लिये, तभी बाहर से इलियास पुत्र रियाजुददीन नि० गाढो वाला चौपला मवाना व मोहन पुत्र भगवानदास (दलाल) नि० किशनगढ राजस्थान भी प्रार्थी के ऑफिस के अन्दर घुस आये और बोले कि साले इतने बड़े आदमीयो से पंगा ले रहा है। अगर आगे से इनसे कोई पैसा मांगा तो तुझे अपनी जान से ही हाथ धोना पडेगा। इसके बाद उक्त सभी ने प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की की और बिल बुक, लेन-देन रजिस्टर व अंकन 40,000/- रूपये लेकर बाहर निकले तथा प्रार्थी के ऑफिस का दरवाजा बाहर से बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी भीतर बन्द हो गया। तत्पश्चात प्रार्थी ने दरवाजे मे लगे शीशे के जरिये देखा तो ये सब लोग काली रंग की स्कॉपियो गाडी में बैठकर फरार हो गये। विपक्षीगण का प्रार्थी के ऑफिस से घटना कारित करके स्कॉपियो से फरार होने की घटना को आस पास के सी०सी०टी० कैमरा से देख कर ब्लैक स्कॉपियो गाडी का नम्बर पता किया जा सकता है तथा घटना की पुष्टि की जा सकती है। प्रार्थी ने उसी दिन दि० 03.02.2026 को थाने पर तहरीर दी थी परन्तु मुकदमा दर्ज नही किया गया। तत्पश्चात दि० 09.02.2026 को पंजीकृत डाक से एस. एस.पी. मेरठ व थाना प्रभारी मवाना को तहरीर दीं परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिस कारण अब प्रार्थी श्रीमान जी की शरण में आया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा वर्तमान प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पत्रावली पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—
(i) थाना मवाना को दी गयी तहरीर दिनांक **03.02.2026**,
(ii) थाना मवाना को प्रेषित तहरीर दिनांक **09.02.2026** (पंजीकृत डाक द्वारा),
(iii) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित तहरीर दिनांक **09.02.2026** (पंजीकृत डाक द्वारा),
(iv) पंजीकृत डाक की रसीदें दिनांक **09.02.2026**।

4. प्रार्थना-पत्र पर थाना मवाना से आख्या आहूत की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त तथ्यों के संबंध में थाना मवाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना-पत्र, संलग्न दस्तावेजों तथा प्रार्थी के कथनों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध मारपीट करना, धमकी देना, अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना तथा गल्ले में रखी लगभग **Rs. 40,000/- की धनराशि** जबरन छीन ले जाने जैसे आरोप लगाए गये हैं। उक्त कथन, यदि अपने प्रथम दृष्टया रूप में स्वीकार किये जाएँ, तो वे संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावना की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं। तथापि आरोपों की वास्तविकता, घटना की परिस्थितियों तथा संभावित साक्ष्यों का परीक्षण—जैसे संबंधित अभिलेखों का परीक्षण, संभावित **सी.सी.टी.वी. फुटेज का संकलन**, संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ, तथा आवश्यक होने पर संभावित अभियुक्तों की **मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण**—के माध्यम से ही स्पष्ट किया जा सकेगा, जो सामान्यतः विधि अनुसार की जाने वाली **विवेचना की प्रक्रिया** के माध्यम से ही संभव है।

6. यह भी दृष्टिगत है कि प्रार्थी द्वारा घटना के संबंध में थाना स्तर पर तथा तत्पश्चात **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी शिकायत प्रस्तुत किये जाने** का उल्लेख किया गया है, तथापि अब तक किसी अभियोग के पंजीकरण का अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र में लगाए गये आरोपों के परीक्षण हेतु विधि के अनुसार विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर न्यायालय का कार्य केवल यह देखना है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों से **प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावना** प्रकट होती है अथवा नहीं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपों की अंतिम सत्यता अथवा असत्यता का निर्धारण इस चरण पर संभव नहीं है, जिसका परीक्षण **विवेचना के दौरान ही किया जाना अपेक्षित होगा।**

8. इसके अतिरिक्त, प्रकरण में लगाए गये आरोपों के परीक्षण हेतु संभावित अभियुक्तों की **मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों का संकलन** भी प्रासंगिक हो सकता है, जो केवल विधि अनुसार की जाने वाली विवेचना के माध्यम से ही प्राप्त एवं परीक्षण किया जा सकता है।

9. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा **173(4) बी.एन.एस.एस., 2023** के अंतर्गत विचारणीय है।

आदेश

अतः, उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में धारा **173(4) बी.एन.एस.एस., 2023** के अन्तर्गत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रभारी निरीक्षक, थाना मवाना, जनपद—मेरठ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर विधि अनुसार उपयुक्त धाराओं में **एफ.आई.आर. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ करें** तथा की गयी कार्यवाही से **07 दिवस के भीतर इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**

दिनांक : **10.03.2026**

(प्रशान्त मौर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
जनपद—मेरठ (उ.प्र.)
(J.O. Code : UP3377)